

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 509 सन 2019

अनवान :-

1. राधेश्याम पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र हरजीदास जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नीतू पुत्री सोहनलाल पत्नि पुनमचन्द जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. घाषा पुत्री सोहनलाल पत्नी धर्मवीर जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. दयान्वती पुत्री सोहनलाल पत्नी ओमप्रकाश निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ
5. राममूर्ति पुत्री सोहनलाल पत्नि सकेश जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेसेकार राज

निर्णय दिनांक :- 13/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की खाता संख्या 227/251 के खसरा न0 53/2 की 0.2650हैक् , खसरा न0 127/2 की 1.0750हैक् खसरा न0 128/2 की 1.5430हैक् खसरा न0 139/2 की 1.0870हैक् कुल 3.9700हैक् रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं खाता संख्या 8/68 के प0न0 248/386(59) के किला न0 18/2 की 0.1518हैक् किला न0 23/0.2530 , प0न0 248/387(60) किला न0 2/0.2530 , 3/0.2530 , 8/0.2530 , 9/0.2530 , कुल 1.4168हैक् भूमि रोही मौजा चक 1 बी बारानी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरजीदास पुत्र सुखरामदास के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया।

प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में ईकबाल दावा पेश होने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं रही एवं वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की खाता संख्या 227/251 के खसरा न० 53/2 की 0.2650 हैक, खसरा न० 127/2 की 1.0750 हैक खसरा न० 128/2 की 1.5430 हैक खसरा न० 139/2 की 1.0870 हैक कुल 3.9700 हैक रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं खाता संख्या 8/68 के प० न० 248/386(59) के किला न० 18/2 की 0.1518 हैक किला न० 23/0.2530, प० न० 248/387(60) किला न० 2/0.2530, 3/0.2530, 8/0.2530, 9/0.2530, कुल 1.4168 हैक भूमि रोही मौजा चक 1 बी बारानी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहनें हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 227/251 के खसरा न० 53/2 की 0.2650 हैक, खसरा न० 127/2 की 1.0750 हैक खसरा न० 128/2 की 1.5430 हैक खसरा न० 139/2 की 1.0870 हैक कुल 3.9700 हैक रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं खाता संख्या 8/68 के प० न० 248/386(59) के किला न० 18/2 की 0.1518 हैक किला न० 23/0.2530, प० न० 248/387(60) किला न० 2/0.2530, 3/0.2530, 8/0.2530, 9/0.2530, कुल 1.4168 हैक भूमि रोही मौजा चक 1 बी बारानी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

ज० इ०

प्रस्तुत भू0 प्रबन्ध विभाग एवं पूर्व की जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि पूर्व वादी के दादा हरजीदास पुत्र सुखरामदास के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजीदास पुत्र सुखरामदास के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2, ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि खाता संख्या 227/251 के खसरा न0 53/2 की 0.2650हैक् खसरा न0 127/2 की 1.0750हैक् खसरा न0 128/2 की 1.5430हैक् खसरा न0 139/2 की 1.0870हैक् कुल 3.9700हैक् रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं खाता संख्या 8/68 के प0न0 248/386(59) के किला न0 18/2 की 0.1518हैक् किला न0 23/0.2530 , प0न0 248/387(60) किला न0 2/0.2530 ,3/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,कुल 1.4168हैक् भूमि रोही मौजा चक 1 बी बारानी भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/-रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक (17/2/2020) को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

राजस्व

उपरोक्त अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हुनुमानगंज)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

1. राधेश्याम पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र हरजीदास जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नीतू पुत्री सोहनलाल पत्नि पुनमचन्द जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. घापा पुत्री सोहनलाल पत्नी धर्मवीर जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. दयान्वती पुत्री सोहनलाल पत्नी ओमप्रकाश निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. राममूर्ति पुत्री सोहनलाल पत्नि राकेश जाति स्वामी निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 509 सन 2019 निर्णय दिनांक-14/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि खवाता संख्या 227/251 के खसरा न0 53/2 की 0.2650हैक, खसरा न0 127/2 की 1.0750हैक खसरा न0 128/2 की 1.5430हैक खसरा न0 139/2 की 1.0870हैक कुल 3.9700हैक रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं खाता संख्या 8/68 के प0न0 248/386(59) के किला न0 18/2 की 0.1518हैक किला न0 23/0.2530, प0न0 248/387(60) किला न0 2/0.2530, 3/0.2530, 8/0.2530, 9/0.2530, कुल 1.4168हैक भूमि रोही मौजा चक 1 बी बारानी भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/-रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)